

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1029/2017/जयपुर.
2. अपील संख्या - 1030/2017/जयपुर.
3. अपील संख्या - 1031/2017/जयपुर.
4. अपील संख्या - 1032/2017/जयपुर.
5. अपील संख्या - 1033/2017/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत्त-‘बी’, झालाना डूंगरी, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स इनोवेशन,

25-26, हवा सड़क, सूरज नगर, सिविल लाईस, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. प्री. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री श्याम पारीक, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये पांचों अपीलों अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 434, 435, 436, 437 व 438/अपीलस-11/आरवीएटी/जयपुर/2015-16 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 27.12.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’, जयपुर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 व 2014-15 (01.04.2014 से 26.02.2015 तक) के लिये वेट अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.9.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलों प्रस्तुत की गयी हैं।

2. पांचों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से पांचों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

जमातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.2.2015 को सर्वेक्षण किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा लेनोवो ब्राण्ड के लेपटोप, डेस्कटोप की बैटरीज अडप्टर, चार्जर, क्लीनिंग किट तथा लेपटोप कैरी बैग का विक्रय 5 प्रतिशत की कर दर से विक्रय किया गया है, जबकि उक्त उत्पाद 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में व्यवहारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आज्ञाच्य अवधियों क्रमशः 2011-12, 2012-13, 2013-14 व 2014-15 (01.04.2014 से 26.02.2015 तक) के लिये वेट अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के तहत पृथक-पृथक आदेश दिनांक 21.09.2015 पारित करते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अडप्टर, चार्जर, क्लीनिंग किट तथा लेपटोप कैरी बैग के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की गई तथा मोबाईल/लेपटोप की बैटरी के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 129/2012 मैसर्स मैराथन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जे, जयपुर के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 02.12.2016 के आलोक में पुनः आदेश पारित किया जावे। साथ ही धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की गयी। अतः बैटरी के सम्बन्ध में किये गये प्रतिप्रेषण आदेश व धारा 61 की शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. हस्तगत प्रकरण में केवल दो बिन्दु विवादित किये गये हैं :-

(1) प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल का 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है, कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त कृत्य को करापवंचन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।



Amal Kumar
04/05/17

(2) प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मोबाईल व लेपटोप की "बैटरी" का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार इस पर 14 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2016 के आलोक में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं।


6. जहां तक धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में लेखा-पुस्तकों में बिक्री दर्ज होने पर करापवंचन की मंशा में आरोपित शास्ति को अविधिक निर्णीत किया है। माननीय न्यायालय के उद्धरित निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है :-

(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 (S.C.)

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

7. हस्तगत प्रकरणों में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज अपनी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ है। अतः व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार का इन्द्राज लेखा-पुस्तकों में किये जाने के आधार पर, धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः इस सीमा तक अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है एवं इस सीमा तक राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

8. प्रकरण में दूसरा बिन्दु मोबाईल व लेपटोप की बैटरी की बिक्री के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है। अपीलीय अधिकारी ने इस सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 129/2012 मैसर्स मैराथन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जे, जयपुर के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 2.12.2016 के आलोक में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

 04/05/18

लग ता. 4

16. The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. v. Kores (India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter (unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon is not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated.

17. Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my view, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.3.2012 is reversed.

9. अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रकरण में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

10. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है।

11. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 27.12.2016 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य